

राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में / Wholly owned by the Reserve Bank of India)



पंजीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

सं 0 / No. 01.0024.01

1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत
राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

नेशनल ट्रस्ट हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

को दूसरी तरफ उद्धृत शर्तों पर
आवास वित्त संस्थान का व्यापार ~~प्रारंभ करने~~ / करते रहने के लिए
यह पंजीकरण प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

In exercise of the powers conferred on the National Housing Bank by
Section 29A of The National Housing Bank Act, 1987

National Trust Housing Finance Limited

is hereby granted Certificate of Registration
to ~~commence~~ / carry on the business of a housing finance institution
subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नई दिल्ली में आज वर्ष दो हजार एक
के अगस्त माह के सोलहवें दिन जारी किया गया।

Given under my hand at New Delhi this Sixteenth day of the month of
August in the year two thousand One.



राष्ट्रीय
आवास बैंक
NATIONAL
HOUSING BANK


प्राधिकृत हस्ताक्षरी
Authorised Signatory
राजेश श्याम / Rajesh Shyam
सह-प्रबंधक निदेशक / Executive Director

शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण के प्रमाणपत्र अथवा इसकी प्रमाणित प्रति को कंपनी के पंजीकृत तथा अन्य कार्यालय/ शाखाएं यदि कोई हैं, में प्रदर्शित किया जाएगा।
 2. कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र उसके आवास वित्त कंपनी (रा०आ० बैंक) के निर्देशों में उन सभी शर्तों एवं पैरामीटरों, जो कि 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धाराओं 30 एवं 31 के अधीन समय-समय पर जारी किए जाएं, के अनुपालन के अधीन जारी किया जाता है।
 3. कंपनी को राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से जारी तथा उसके लिए यथा लागू निर्देशों, दिशा निर्देशों/अनुदेशों इत्यादि की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 4. यदि कंपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी विज्ञापन में ऐसी कोई प्रचार सामग्री इत्यादि उपदर्शित करना चाहती है कि कंपनी को पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिया गया है, तब ऐसे विज्ञापन/प्रचार सामग्री में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए :

“कंपनी के पास 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से जारी किया गया पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिनांकित **16.08.2001** है। तथापि, राष्ट्रीय आवास बैंक कंपनी की वर्तमान सुदृढ़ वित्तीय स्थिति अथवा उसके किसी कथन की परिशुद्धता अथवा कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों अथवा अभिव्यक्त सम्मति के बारे में और जमाराशियों के पुनर्भुगतान/कंपनी द्वारा देय राशियों के भुगतान के लिए कोई न कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है, न ही कोई गारंटी लेता है।
 5. जिस तारीख को कंपनी ने किसी आवास वित्त संस्थान का व्यापार प्रारंभ किया है, उस तारीख की सूचना रा०आ० बैंक को तुरंत दी जाएगी।
1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices/ branches, if any, of the company.
 2. The Certificate of Registration is issued to the company subject to its continued compliance with all the conditions and parameters in the Housing Finance Companies (NHB) Directions issued from time to time in terms of Sections 30 and 31 of the National Housing Bank Act, 1987.
 3. The company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, Guidelines/ instructions, etc., issued by the National Housing Bank and as applicable to it.
 4. If the company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, publicity brochure, etc., that the company has been granted Certificate of Registration, such advertisement / brochure should, *inter alia*, invariably contain a statement as under :

“The company is having a valid Certificate of Registration dated **16.8.2001** issued by the National Housing Bank (NHB) under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987. However, the NHB does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinion expressed by the company and for repayment of deposits/ discharge of liabilities by the company”.
 5. The date when the company has commenced business as a housing finance institution shall be advised to the NHB promptly.